

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु
पीठासीन अधिकारी : श्री सक्षम गोयल आई.ए.एस.

अनुवान

कृष्णा

बनाम

राजस्थान सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर 111 सन् 2023



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी वादीनी कृष्णा मिनजानिब मुदईब एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

वादीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् व रिपोर्ट पटवारी सहनुसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर के आधार पर दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम थैलासर खाता संख्या 36 खसरा संख्या 1020/594, 480, 519, 524, 596/500, 598/528 की जमाबंदी में वादीनी का अंकित नाम केशर के स्थान पर कृष्णा किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त नाम दुरुस्ती में वादीनी की ओर से कोई तथ्य छुपाया गया है तो वादीनी स्वयं जिम्मेवार होगी। वादीनी के खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने या राजस्व बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार चूरु उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज तारीख 01 माह अगस्त 2023 को जारी की गई।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

चूरु

उपखण्ड अधिकारी
चूरु

